J and K
01/10/2026

जम्मू-कश्मीर का राज्य दर्जा वापसी पर चुप्पी तोड़े केंद्र

केंद्रशासित क्षेत्र (UT-यूटी) जम्मू व कश्मीर सरकार ने विधान सभा से सोमवार प्रस्ताव पास करके राज्य दर्जा लौटाने का वादा पूरा करने की याद केंद्र सरकार को दिलायी है। इस बार के प्रस्ताव में राज्य दर्जे के साथ 'पूर्ण स्वायत्तता' का भी जिक्र किया गया है, जिसको लेकर विपक्षी भाजपा सदस्यों ने सदन में हंगामा किया।

जम्मू व कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन में यह प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार विधानसभा आम से पहले और उसके बाद राज्य दर्जा वापसी का वादा कश्मीर के भारतवासियों से बार-बार कर चुकी है, लेकिन पूरा करने के मामले में चुप्पी साधे हुई है। लंबे समय से केंद्र का यह रवैया चल रहा है और इस सम्बन्ध में सदन के अंदर और बाहर चर्चा में केंद्र सरकार से यह गुजारिश दुहरायी गयी है। जम्मू व कश्मीर में नेशनल कान्फ्रेंस की सरकार है, जिसे बाहर से कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का साथ मिला हुआ है। मुख्यमंत्री ने गत वर्ष विधान सभा में पेश करने के दिन इस प्रस्ताव में 'पूर्ण स्वायत्तता' का भी जिक्र किया, जिस पर विपक्षी भाजपा सदस्यों ने भारी शोर-शराबा मचाया। विपक्षी नेता सुनील शर्मा ने 'स्वायत्तता' वाले पहलू को 'राष्ट्रविरोधी' बताया। स्वायत्तता प्रस्ताव जून, 2000 में जम्मू व कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त पूर्ण राज्य के समय में नेशनल कान्फ्रेंस के ही मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने विधान सभा से सर्वसम्मति से पास किया था। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा गठजोड़ सरकार थी।

राज्य का दर्जा वापसी प्रस्ताव सदन से पास होने के दिन

28/09/2026 को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वायत्तता पर प्रकाश
डाल दिया। अपने स्वयं के
सदस्यों से लेकिन ध्यान 370 के तहत राज्य विशेष दर्जा वापसी और
09 अगस्त 1953 से पहले वाली पूर्ण स्वायत्तता फिर से
बहाल करने वाले संशोधन वापस लेने का अनुरोध किया। 1953
वाली स्थिति बहाली का जो प्रस्ताव वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री फारूक
अब्दुल्ला ने सदन से पास कराया था। उस समय भी सदन में अभी प्रस्ताव पास होने के
भाजपा सदस्यों ने इसका विरोध किया था।
समय चर्चा के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा— हम उस
पीढ़ी के लिए न्याय चाहते हैं, जो 7 वर्षों से केंद्र रहे हैं। हमें
केंद्र से टकराव नहीं चाहिए। राज्य दर्जा कश्मीर के लोगों
का हक है, जिससे जम्मू कश्मीर केंद्र ने वंचित रखा हुआ है।
इसलिए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।
विपक्षी भाजपा ने विरोध में बहिष्कार किया और बाकी सदस्यों
के समर्थन से ध्वनिमत से प्रस्ताव पास हो गया।

मुख्यमंत्री ने सदन के माध्यम से केंद्र को याद
दिलाया कि जम्मू व कश्मीर में सरकार गठन के तुरंत बाद
06 नवंबर 2024 को मंत्रिमंडल से और फिर सदन से भी राज्य
दर्जा वापसी का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा गया।
अब इस सरकार का दूसरा वर्ष है और फिर से यह प्रस्ताव
पास होने के बाद केंद्र को भेजा जाएगा। अब्दुल्ला
ने सदन से बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि
वे इस बाबत कई बार प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मिल चुके हैं।

05 अगस्त, 2019 को केंद्र की भाजपा-नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा देनेवाली विवादित धारा-370 को समाप्त करके इस राज्य को दो यू.टी. (केंद्रशासित क्षेत्र) में विभाजित करके लद्दाख को भी अलग यू.टी. का दर्जा दे दिया। पांच साल बाद अक्टूबर, 2024 में हुए विधान सभा चुनाव में धारा-370 वापसी के ही मुद्दे पर नेशनल कांफ्रेंस की सरकार बनी। इसके बावजूद अपनी पार्टी और समर्थन देने वाले दलों के दबाव के बावजूद नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला धारा-370 का ज़िक्र टालते हैं। मुख्यमंत्री भी सिर्फ राज्य-दर्जा वापसी की मांग के अलावे कुछ बोलने से परहेज करते हैं। (अभी हाल के समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा से राज्य-दर्जा-वापसी का प्रस्ताव स्वायत्तता के ज़िक्र के साथ-साथ हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मामला न्यूयॉर्क में अपने पुराने लहजे में फिर से उठाया। इस बार पाकिस्तान का टोन जम्मू-कश्मीर में शोषण और भारत पर औपनिवेशिक नीति का आरोप लगानेवाला था। भारत का प्रतिनिधित्व करने न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए पी.ओ.के. (पाक अधिकृत कश्मीर) के लोगों के दमन और उत्पीड़न की ओर ध्यान दिलाया, अपने गिरेबान में झांकने कहा। पीओके में गत जून, जुलाई में रोजमर्रा की जरूरतों की भारी किल्लत और जनविरोधी नीतियों के विरोध में सड़कों पर उतरे लोगों के साथ पुलिसिया दमन से स्थिति भड़की, जिसमें 50 के द्वारा प्रदर्शनकारी मारे गए।

जुमे के रोज 25 सितंबर को जब उमर अब्दुल्ला जम्मू व कश्मीर विधान सभा में राज्य दर्जे वापसी पर केंद्र के उदासीन रवैये का ज़िक्र कर रहे थे और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ कश्मीर मामला उठा रहे थे।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन में प्रस्ताव पास होने के दिन अपना भाषण पाकिस्तान के ज़िक्र के साथ शुरू किया और केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि जम्मू व कश्मीर का राज्य दर्जा लौटाने पर क्या पाकिस्तान फैसला लेगा? 28 सितंबर 2026 को अब्दुल्ला ने विपक्षी भाजपा के वाकआउट को निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू व कश्मीर का राज्य दर्जा के उग्रवाद के खात्मे के शर्त के साथ जोड़ने से पाकिस्तान को इस पर प्रभावी तरीके से बोलने का मौका मिल गया है। मुख्यमंत्री ने 2000 में पारित के पास वृहत्तर स्वायत्तता (ग्रेटर ऑटोनोमी - greater autonomy) हासिल करनेवाला प्रस्ताव और 2025 में विशेष दर्जा के साथ राज्य दर्जा वापसी तथा जम्मू व कश्मीर के लिए संवैधानिक गारंटी की मांग किये थे शुरुआती। सभी दलों ने सभी इसका पुरजोर समर्थन किया। इसमें कांग्रेस, सीपीएम के अलावे सत्तारूढ़ नेशनल कान्फ्रेंस से कुछ मामलों में मतभेद रखनेवाली महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), समेत सभी स्थानीय एवं पीपुल्स कान्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टियों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। विधान सभा सत्र शुरू होने के समय पाकिस्तान के इशारे पर इस्लामी देशों के संगठन (OIC — ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कान्फ्रेंस) ने पाक पीएम शहबाज़ शरीफ का जुमला उठाते हुए जम्मू व कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन और अवाम की आवाज़ दबाने का आरोप भारत सरकार पर लगाया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका में जुटे सदस्य देशों के अध्यक्षों के इस मंच का पाकिस्तान ने भरपूर लाभ उठाया। इसका करारे शब्दों में जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने जम्मू कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताया और ओआईसी के आरोपों को खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देशों से पाकिस्तान अनर्गल बयान दिलवाता रहा। इसमें अमेरिका की भी भूमिका की खबर आयी। विदेशमंत्री मार्को रुबियो ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मामले में मध्यस्थता की पुरानी घिसी-पिटी अमेरिकी पेशकश दुहरायी, जिसे पहले की तरह भारतीय विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने ठुकरा दिया। तुर्किए के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने भी भारत की कश्मीर नीति का मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा में 29 सितंबर को उठाया। भारत का पक्ष रखने के बाद कई द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध मजबूत करने के सिलसिले में अमेरिका में जयशंकर टिके रहे। इसका कड़ा विरोध करते हुए उन्होंने पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के महासभा सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रोक लगाने के दावे का जिक्र और उसमें सोशल मीडिया पर ट्रंप की शाबाशी को भी अस्वीकार्य बताया। 07 मई, 2025 को भारतीय वायुसेना ने पीओके में आधी रात को किए गए हवाई हमले में पाक पोषित आतंकी ठिकाने नष्ट किए, जिसमें ३ आतंकी मारे गए। पाक गोलीबारी में 15 भारतीयों की भी जान गयी। इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया।

22/04/2025 को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए
आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए और बेकसूर महिलाओं
ने अपने सामने पति की मौत देखी। इसके जवाब में 07 मई को
'ऑपरेशन सिंदूर' कार्रवाई हमला किया गया। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप करके ऑपरेशन सिंदूर समाप्त करने का
खोखला दावा किया। अभी इस पर शहबाज शरीफ ने अपने संयुक्त
राष्ट्र महासभा वक्तव्य में इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया
कहा और उनके भाषण की वीडियो क्लिप पर ट्रंप ने साझा किया।

दरअसल जम्मू व कश्मीर मामले में श्रीनगर से दिल्ली तक असहमत
को यह मौका 05 अगस्त, 2026 से ही शुरू हो गया था। ईद
में जम्मू व कश्मीर से अनुच्छेद-370 खत्म करके इसे पूर्ण राज्य भारतीय
संघ का हिस्सा बनाने की सातवीं बरसी पर जश्न मनाया जा
रहा था। कश्मीर में विरोध प्रदर्शन के जरिए 05 अगस्त को
'काला दिवस' के रूप में मातम और रोष का इजहार
किया जा रहा था। उधर पाकिस्तान में 05 अगस्त को 'शोषण दिवस',
तथाकथित (यौम-ए-इस्तेहसाल) के रूप में मनाया जा रहा था और
इसी बीच अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जम्मू व कश्मीर में कथित मानवाधिकार
उल्लंघन का बयान किया जा रहा था। जबकि इस समय पाक अधिकृत कश्मीर
(पीओके POK) में पुलिस और सैनिकों द्वारा दमन का सामना करने के
लिए सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की खबर
पूरे उफान पर थी। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार द्वारा अपनी
पार्टी की सत्ता पीओके में चुनाव में गड़बड़ी करके कायम रखने के
विरोध में विपक्षी दलों के आह्वान पर जन आंदोलन भड़का।

पाकिस्तान समर्थक पीओके स्थित के ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के संयुक्त मंच को प्रतिबंधित करके जनता में खौफ पैदा करना चाहती थी। जुलाई के अंतिम सप्ताह में जब विरोध और दमन चरम पर था, उसी समय अमेरिकी पत्रिका जैकोबिन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाया कि किस तरह पाकिस्तान दुनिया को अंधा रखने के लिए पीओके को 'आजाद कश्मीर' कहकर प्रचारित करता है और, इसे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि पूर्ण स्वायत्त क्षेत्र बताकर झूठा तथ्य मीडिया में उछालता है। और इस्लामी देश इससे बखूबी वाकिफ होने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में मौलिक अधिकारों की हत्या पर कुछ नहीं बोलते। 05 अगस्त को पाकिस्तान के तथाकथित योमे-ए-इस्तेहसाल दिवस आयोजन के विरोध में भारतीय विदेश मंत्रालय ने माकूल जवाब दिया। पीओके में उनकी विधानसभा का प्रांत की तरह होता है, लेकिन जीती हुई पार्टी के नेता 'आजाद कश्मीर' के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और, उन्हें पीओके के तथाकथित 'राष्ट्रपति' शपथ दिलाते हैं। दोनों ही पाकिस्तान के कश्मीर मामलों के मंत्री के प्रति जवाबदेह हैं।

अब लौटते हैं धारा-370 की ओर, जो विवाद शुरू होकर अभी तक चर्चा में है। जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह कांग्रेस और सत्तारूढ़ नेशनल कान्फ्रेंस कार्यकर्ताओं ने धारा-370 समाप्त किए जाने के विरोध में पुतला जलाया। कांग्रेस की सरकार में सुविधा से अलग हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि धारा-370 समाप्त होने का जख्म रिसता रहा है, भरता नहीं है।

भाजपा के कोर जम्मू व कश्मीर में समीकरणों ने अभियान में नया विषय मार्ग निकाला। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा-370 खात्मा विषय जश्न के दिन 05 अगस्त को कहा कि इस बार जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जिंदगी बदल गयी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आठवीं बरसी पर इसका खास महत्व है, क्योंकि इस वर्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनायी जा रही है। जनसंघ (आज का भाजपा) के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा-370 हटाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, जब वे कश्मीर को पूरी तरह भारत का हिस्सा बनाने की मांग को लेकर धारा-370 के विरोध में सत्याग्रह के लिए कश्मीर में घुसे। जेल में ही उनकी मौत हो गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 05 अगस्त 2019 श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प पूर्ण होने का ऐतिहासिक दिवस है।

नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25वें वर्ष में उनका जन्मदिन जिन उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के रूप में भाजपा कार्यकर्ता मना रहे हैं, उनमें पहला नंबर धारा-370 खत्म करके कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना है। (जुलाई, 2025 के अंतिम सप्ताह में दिल्ली का जंतर-मंतर आम आदमी पार्टी के अनशन, धरना के बहाने लद्दाख के स्वयं आंदोलन नेता सोनम वांगचुक की भी सक्रियता का केंद्र बना हुआ था। गौरतलब है कि लद्दाख के और जम्मू व कश्मीर विधानसभा से जनसंगठनों को धारा-370 हटने की कोई परेशानी नहीं है

लद्दाख के अलग राज्य दर्जा आंदोलन की चलते से चल रहा है
2019 में जिन विधान सभा के पूर्ण दर्जा लद्दाखियों की मंजूर
नहीं हुआ थी। उसके बाद से राज्य दर्जा आंदोलन जारी है
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कई बार अनशन कर चुके हैं।
गत 09 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय से वार्ता में लेह अपेक्स
बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA)
प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में वांगचुक शामिल थे। (जंतर मंतर
पर अनशन प्रदर्शन के दौरान उमर अब्दुल्ला को भी ऑटोरिक्शा
पर कश्मीर का राज्य दर्जा वापसी का बैनर लगाए वहां मौजूद
देखा गया। सोशल मीडिया पर जिन गाड़ी, दुकान के उमर अब्दुल्ला
का अपना स्वभाव से ऑटो रिक्शा से उतरकर पायदल
हुआ। (लेकिन 19/08/2026 को भारत स्थित अमेरिकी राजदूत
सर्जियो गोर के लद्दाख होते हुए श्रीनगर पहुंचने के बाद उनके
[illegible] में उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री के कश्मीरियों के असंतोष
और धारा-370 का जिक्र नहीं किया। धारा-370 हटने के बाद
अमेरिकी राजदूत का यह पहला कश्मीर दौरा था।
(कश्मीर का राज्य दर्जा हटाने के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम
कोर्ट के सामने भी सफाई देते नहीं बन रहा था।
के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
धारा-370 हटाने
देनेवाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिसंबर 2023 में चीफ
जस्टिस डी. वाई. चन्द्रचूड़ ने फैसला सुनाते समय जम्मू व कश्मीर
को पूर्ण बनाने का औचित्य केंद्र सरकार से रखा। →

(10)

सुप्रीम कोर्ट ने अनु-370 के तहत विशेष दर्जा हटाने को [illegible] संवैधानिक रूप से गलत नहीं कहा गया जम्मू व कश्मीर का राज्य दर्जा भी खत्म [illegible] करके यूटी बनाने को सही नहीं माना। केंद्र सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल का जवाब नहीं था कि संविधान की अनु-3 का पहली बार इस्तेमाल करके जम्मू व कश्मीर को पूर्ण राज्य से यूटी क्यों बनाया गया। [illegible] चुनाव के बाद जम्मू व कश्मीर का राज्य दर्जा लौटाने के केंद्र के आश्वासन पर सुप्रीम कोर्ट आश्वस्त हो गयी। लेकिन केंद्र सरकार कानून व्यवस्था का हवाला देकर चुनाव टालना चाहती थी। (सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिकाएं दायर हुई, जिसके बाद शीर्ष कोर्ट ने सीधे चुनाव आयोग को [illegible] 2024 लोक सभा चुनाव संपन्न होने के बाद जम्मू व कश्मीर विधान सभा चुनाव कराने का आदेश दिया और इसकी डेडलाइन 30 सितंबर तय करदी।

(अनु 370 हटाने के फैसले को उचित ठहराने का अपेक्षित लाभ भाजपा को न लोकसभा चुनाव में मिला, न विधानसभा चुनाव में। [illegible] कश्मीरी नेताओं का आरोप है कि 370 हटने के बाद पहली यूटी सरकार बनने की उम्मीद पूरी नहीं होने के कारण राज्य दर्जा वापसी का मामला टल रहा है। (11)